संख्या- 10/2023/001-431/77-2-2023

प्रेषक,

अनीता चौधरी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0 प्रयागराज।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 21 जून, 2023

विषयः वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 103-03-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-8 (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के लेखाशीर्ष-4058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय 103-सरकारी मुद्रणालय 03-सरकारी मुद्रणालयों में मशीने तथा उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में बजट प्राविधानित **धनराशि रू0 10,00,00,000/- (रूपये दस करोड़ मात्र)** की नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु निम्न नियम व शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

नियम व शर्तों/ प्रतिबन्धों

(1) उक्त बजट प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय मुद्रणालयों में माध्यमिक शिक्षा परिषद की उत्तर पुस्तिकाओं के धागा सिलाई हेतु मशीन क्रय किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में व्यवस्थित/स्वीकृत धनराशि केवल चालू योजनाओं पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों/अन्य प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त धनराशि का व्यय एतदविषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 जो समस्त विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार की व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार मासिक आधार पर किया जायेगा। निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा व्यय का विवरण मासिक आधार पर वित्त विभाग/औद्योगिक विकास विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 10,00,00,000/- (रूपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 008 लेखाशीर्षक 4058001030300 सरकारी मुद्रणालयों में मशीने तथा उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय मानक मद 26 मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(अनीता चौधरी)
अनु सचिव।

संख्या-10/2023/ 001-431(I)/77-2-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- नोडल अधिकारी/अनु सचिव, बजट एलाटमेंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनीता चौधरी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।